भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4563 का उत्तर

पश्चिम बंगाल में आरओबी

†4563. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के बर्धमान-दुर्गापुर लोक सभा क्षेत्र में क्रमशः कलना गेट रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी), माया बाजार आरओबी और शक्तिगढ़ आरओबी के लिए अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में पूर्ण हो चुके कार्य का वास्तविक और वित्तीय प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या परियोजना के क्रियान्वयन में कोई देरी हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो मूल रूप से स्वीकृत और संशोधित समय-सीमा, देरी के कारण और इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए, आयोजित समीक्षा बैठकें, कार्य पूरा करने की अद्यतन समय-सीमा और इसमें हुई देरी के लिए ठेकेदारों पर लगाए गए दंड (यदि कोई हों) सहित, किए गए/किए जा रहे/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र में समय-सीमा और बजटीय आवंटन के साथ-साथ नियोजित किए जा रहे, स्वीकृत किए गए/कार्यान्वयन की जा रही अन्य रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) : भारतीय रेल पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा और

गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके उन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (जून 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण
2004-14	4,148
2014-25 (जून 2025)	13,426 (पश्चिम बंगाल राज्य में 510 सहित)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर ₹1,00,860 करोड़ की लागत से 4,402 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल राज्य में रेलपथ पर समपार आदि के स्थान पर ₹5,985 करोड़ की लागत से 251 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 16 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल भूमि अधिग्रहण, जन विरोध और बंद करने की सहमति आदि के कारण विलंबित हैं।

इसके अतिरिक्त, 251 में से 16 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल राज्य सरकार के कारण रुके हुए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कारण	ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी	4
2.	राज्य सरकार द्वारा समपार को बंद करने की सहमति	4
3.	कानून एवं व्यवस्था/ सार्वजनिक विरोध आदि।	8

वर्तमान में, बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के 42 कार्य स्वीकृत हैं, जो नियोजन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

समपार (एलसी) संख्या 44-बी (कलना गेट), 50ए/टी (शक्तिगढ़) और 118 (माया बाजार) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्य को वर्ष 2013-14 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ लागत में साझेदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा लागत साझा करने के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने/अनिच्छा के कारण ये कार्य अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बहरहाल, जनता की लगातार मांग और रेल परिचालन की सुरक्षा तथा सड़क उपयोगकर्ताओं की गतिशीलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए, अब इन कार्यों को रेलवे के खर्च पर शुरू किया गया है। इन स्थानों पर संरेखण योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे ने ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।
- ऊपरी सड़क पुल निचले सड़क पुल/कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- डिजाइन अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे हिस्से पर सड़क के फैलाव, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सारसंग्रह के रूप में जारी किया गया है-, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।
- जहाँ तक संभव हो, रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल निचले सड़क पुल/कार्यों को एकल इकाई के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे वार रखा जाता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले पूर्वी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 898 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

बर्धमान-दुर्गापुर क्षेत्र की संपर्कता में सुधार :

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹4,380 करोड़/वर्ष
2025-26	₹13,955 करोड़ (3 गुना से अधिक)

बर्धमान -दुर्गापुर क्षेत्र की संपर्कता बेहतर बनाने के लिए, चंदनपुर-शक्तिगढ़ चौथी लाइन (43 किलोमीटर) के काम को हाल ही में स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित सर्वेक्षण भी किए गए हैं:

क्रम सं.	सर्वेक्षण	लंबाई (किमी)
1	खाना-सैंथिया तीसरी, चौथी लाइन	84
2	बर्धमान-खाना 5वीं, 6वीं लाइन	18
3	खाना -दुर्गापुर 5वीं, 6वीं लाइन	50

स्टेशन पुनर्विकास:

भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण निरन्तर और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

यात्रियों के अनुभव को उन्नत करने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन पहुंच और परिचलन क्षेत्र में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, जल बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पथ/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफार्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफार्म पर आवरण
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान

इस योजना में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित रेलपथ आदि के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करना और व्यवहार्यता तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण भी शामिल है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए पश्चिम बंगाल में 101 स्टेशनों की पहचान की गई है, इसमें बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पानागढ़ और बर्द्धमान स्टेशन शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में तीन स्टेशनों (जॉय चंडी पहाड़, कल्याणी घोषपाड़ा और पानागढ़) के चरण-I के कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बर्द्धमान स्टेशन पर कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

- **बर्धमान स्टेशन: अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर के निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म सतह सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। नए द्वितीय प्रवेश द्वार स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय, बुकिंग काउंटर, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र में सुधार का कार्य शुरू हो चुका है।**

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। पश्चिम बंगाल राज्य चार रेल क्षेत्रों अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,317 करोड़ का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (जुलाई, 2025 तक) ₹374 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों सहित रेलवे परियोजना/ओं का पूरा होना और चालू होना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:-

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण,**
- **वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी,**
- **उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण,**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी,**

- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियाँ,**
- **परियोजना/ओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति,**
- **किसी विशेष परियोजना स्थल आदि के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या।**

*****